न्यायालय भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह।

दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या 06/2018-19

अमलेस कुमार बनाम राज्य

आदेश

.7.2019 यह दाखिल-खारिज अपील वाद संख्या 06/18-19 अंचल अधिकारी, गिरिडीह के नामांतरण वाद संख्या 1440 R 27/2018-2019 में पारित आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी अमलेश कुमार द्वारा दायर किया गया है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता का बहस सुना एवं उनके द्वारा समर्पित दस्तावेज का अवलोकन किया। उन्होंने बहस करते हुए बताया कि अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा बिना जाँच-पड़ताल किये उनके द्वारा खरीद की गई वैध जमीन का नामांतरण अस्वीकृत कर दिया गया। अतः इस अपील आवेदन को स्वीकार करते हुए अंचल अधिकारी, गिरिडीह के आदेश को निरस्त करते हुए नामातंरण की स्वीकृति दी जाए।

अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने अपने उक्त नामांतरण वाद में पारित आदेश में उल्लेख किया है कि "हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन के अनुसार आवेदित भूमि असर्वेक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत है जो थोका पर है जिसका खाता संख्या एवं प्लॉट संख्या ज्ञात नहीं है। बिना प्लॉटवार रकवा का ऑन लाईन नामांतरण संभव नहीं है। अतएव आवेदित भूमि का नामांतरण अस्वीकृत किया जाता है।"

इस प्रकार अंचल अधिकारी, गिरिडीह ने उपरोक्त कारण से आवेदक का नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया।

अपीलार्थी श्री अमलेश कुमार द्वारा इस नामांतरण अपील वाद में भी ऐसा कोई दस्तावेज समर्पित नहीं किया है जिससे स्पष्ट हो सके कि वाद भूमि का खाता एवं प्लॉट संख्या क्या है। किसी भी भूमि का खाता एवं प्लॉट के बिना नामांतरण न्यायसंगत प्रतीत नहीं है। अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा पारित आदेश तर्कसंगत है। अतः अंचल अधिकारी, गिरिडीह द्वारा उक्त नामांतरण वाद में पारित आदेश को बरकरार रखा जाता है तथा अपीलार्थी के नामांतरण अपील आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है एवं वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

भमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह।	भमि सुधार उप समाहर्त्ता, गिरिडीह।